संख्या-4/2015/एस-3-184(2)/दस-2015-ब(5)/2014

प्रेषक,

राज रतन,

अनु सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,

कोषागार, उ0प्र0,

जवाहर भवन, लखनऊ।

वित्त (सेवायें) अनुभाग-3 लखनऊः दिनांक 06 अप्रैल, 2015

विषयः- अनुदान संख्या-63 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2015-2016 के बजट को विभागाध्यक्ष के निर्वतन पर रखे जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 कार्यालय ज्ञाप संख्या-2/2015/बी-1-925/दस-2015-231/2015, दिनांक 30 मार्च, 2015 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वर्तमान वित्तीय वर्ष 2015-2016 में अनुदान संख्या-63 के लेखाशीर्षक-"2054-खजाना तथा लेखा प्रशासन-आयोजनेत्तर-095- लेखा तथा खजाना निदेशालय-03- कोषागार निदेशालय" के अन्तर्गत अधिष्ठान व्यय हेतु संलग्नक-1 के अनुसार मदवार प्राविधानित कुल धनराशि रू0-23,25,60,000/- (रूपया तेइस करोड़ पच्चीस लाख साठ हजार मात्र) व्यय किये जाने हेतु श्री राज्यपाल महोदय आपके निर्वतन पर रखे जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2- संलग्नक-1 में उल्लिखित मदवार धनराशियों का प्रदेशन इस शर्त के साथ किया जाता है कि वित्तीय वर्ष 2015-2016 की अवधि में जो व्यय किया जाये वह उपलब्ध धनराशि के अन्दर रहे। प्रदिष्ट धनराशि से किसी भी नई मद में व्यय नहीं किया जायेगा।

3- इस सम्बन्ध में यह भी कहने का निदेश हुआ है कि उपरोक्त आवंटित धनराशि का व्यय उक्त कार्यालय संख्या-2/2015/बी-1-925/दस-2015-231/2015, दिनांक 30 मार्च, 2015 द्वारा निर्धारित नियमों/आदेशों/निर्देशों के अनुसार तथा समय-समय पर जारी मितव्ययता सम्बन्धी अन्य आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जाये।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

4- उपर्युक्त के अतिरिक्त मुझे यह भी कहने का निदेश हुआ है कि सुसंगत नियमों के अन्तर्गत जिन मदों पर शासन की स्वीकृति अपेक्षित है, उन मदों पर धनराशि व्यय करने से पूर्व अपेक्षित स्वीकृति शासन से प्राप्त कर ली जाये।

5- उक्त पर होने वाला व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2015-16 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-63 के लेखाशीर्षक-"2054-खजाना तथा लेखा प्रशासन-आयोजनेत्तर-095- लेखा तथा खजाना निदेशालय-03- कोषागार निदेशालय" के अन्तर्गत सुसंगत प्राथमिक इकाइयों के नामें डाला जायेगा तथा तत्सम्बन्धी उ0प्र0 विनियोग अधिनियम, 2015 द्वारा प्राधिक़त निधी से वहन किया जायेगा।

संलग्नक-यथोक्त।

भवदीय,

(राज रतन)
अनु सचिव।

संख्या-4/2015/एस-3-184(3)/दस-2015 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय उ0प्र0, इलाहाबाद।
2- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
3- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2
4- अनुभागीय गार्ड बुक।

आज्ञा से,

(राज रतन)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

शासनादेश संख्या-4/2015/एस-3-184(2)/दस-2015-ब(5)/2014,

दिनांक 06 अप्रैल, 2015का संलग्नक-1

कोषागार निदेशालय तथा समस्त अपर मण्डलीय कोषागार एवं पेंशन कार्यालय

अनुदान संख्या-63

लेखाशीर्षक- आयोजनेत्तर

2054-खजाना तथा लेखा प्रशासन-

-095 लेखा तथा खजाना निदेशालय धनराशि (हजार रूपये में)

-03 कोषागार निदेशालय

क्रमांक	मानक मद	2015-16 में प्राविधानित धनराशि
1	01-वेतन	80000
2	02- मजदूरी	150
3	03-महंगाई भत्ता	96000
4	04-यात्रा व्यय	2000
5	05-स्थानान्तरण यात्रा व्यय	500
6	06-अन्य भत्ते	10500
7	07-मानदेय	60
8	08-कार्यालय व्यय	5000
9	09-विघुत देय	2500
10	10-जलकल/जल प्रभार	300
11	11-लेखन सामग्री एवं फार्मो की छपाई	1800
12	12-कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	1200
13	13-टेलीफोन पर व्यय	1500
14	14-मोटर गाडियों का क्रय	3900
15	15-गाडियों का अनुरक्षण और पेट्रल आदि की खरीद	4000
16	16-व्यवसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान	12000
17	17-किराया , उपशुल्क और कर स्वामित्व	1200
18	26-मशीने और सज्जा/उपकरण और संयत्र	2000
19	29-अनुरक्षण	2000

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

20	42-अन्य व्यय	200
21	44-प्रशिक्षण हेतु यात्रा एवं अन्य प्रासांगिक व्यय	500
22	45-अवकाश यात्रा व्यय	300
23	46-कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफटवेयर का क्रय	900
24	47-कम्प्यूटर अनुरक्षण/तत्संबंधी स्टेशनरी का क्रय	2200
25	49-चिकित्सा व्यय	1800
26	51-वर्दी व्यय	50
	योग:-	232560

(रूपया तेइस करोड पच्चीस लाख साठ हजार मात्र)

(राज रतन)
अनुसचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।